न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.
राजस्व वाद संख्या : 30/22 (वाद)
GCMS No. : 2022/65

अनवान

1. श्री गंगाराम पिता जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्री कुकाराम पिता जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. श्री देवीलाल उर्फ मांगीलाल पिता शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. पारसी पुत्री शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
5. रूपी पुत्री शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्रीमती केशीबाई पत्नी शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री छगनलाल पिता जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्रीमती कनीबाई पत्नी जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. केशीबाई पुत्री जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. गुलाबी पुत्री जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
5. लोगरीबाई पुत्री जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री हीरालाल सालवी, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 से 5

वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 27.11.2024

1. वादीगण द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल के परिशिष्ट अ में वर्णित आराजी नम्बर 1773, 1774, 1775 किता 3 कुल रकबा 0.6555 है उक्त आराजीयात वर्तमान में वादी संख्या 1 का 1/16 हिस्सा, वादी सं. 2 का 1/16 हिस्सा, वादी सं. 3 से 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

का 1/16 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 तक प्रत्येक के नाम 1/16 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट ब में वर्णित आराजी नम्बर 1164, 1165, 1166, 1626, 1628, 1631, 1632, 1634, 1635, 1639, 1640, 1642, 1651, 1652, 1655, 1665, 1666, 1667, 1668, 1670, 1671, 1673, 1674, 498 किता 24 कुल रकबा 2.6467 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान में वादी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/48 हिस्सा, वादी संख्या 3 से 6 का संयुक्त 1/48 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 तक प्रत्येक के नाम 1/48 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं। मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल के परिशिष्ट स में वर्णित आराजी नम्बर 149, 150, 151, 152, 153, 154 किता 6 कुल रकबा 0.8822 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान में वादी संख्या 1 का 1/8 हिस्सा, वादी 2 का 1/8 हिस्सा, वादी सं. 3 से 6 का संयुक्त 1/8 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 तक प्रत्येक के नाम 1/8 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं। परिशिष्ट द में वर्णित आराजी नम्बर 146 रकबा 0.5423 हेक्टेयर उक्त आराजीयात वर्तमान में वादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, वादी 2 का 1/12 हिस्सा, वादी सं. 3 से 6 पिता के नाम सवा उर्फ शिवलाल पिता जगा के नाम 1/12 हिस्सा खातेदार सवा उर्फ शिवलाल पिता जगा फौत हो गये है जिनके वारिस वादी सं. 3 से 6 है एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 तक प्रत्येक के नाम 1/12 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज हैं।

2. यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न है :–

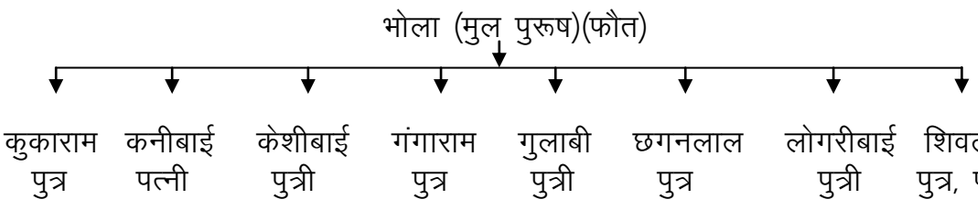

3. यह कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की होकर संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है परन्तु वादीगण को नुकसान पहुंचाने की गरज से नाजायज तरीके से हर तरह से हेरान व परेशान करते हुए वादीगण को काश्त नहीं करने दे रहे है और वादीगण के उपयोग उपभोग में भी बाधा उत्पन्न कर रहे है और येन केन प्रकारेण वादीगण को अपने हिस्से से मेहरूम रखना चाहते है प्रतिवादीगण विवादित जमीन को अजनबी को लाकर जबरदस्ती खेती में हस्तक्षेप करते हुए बेचने पर उतारू हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Shri Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

रहे है जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादीगण को ऐसा नहीं करने बाबत् अनेक बार अनुनय विनय किया परन्तु प्रतिवादीगण नहीं माने ओर कहा कि तुम्हारी यहां कोई जमीन नहीं है यहां से निकल जाओ नहीं तो तुम्हे यहां नहीं रहने देगे।

4. यह कि चूंकि वर्तमान रेवेन्यु रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम पर जमीन हिस्से अनुसार दर्ज होने से भू–माफियाओं से मिलकर हम वादीगण के कब्जे काश्त की अच्छी जमीन को अपनी बताकर अन्य लोगो को बेचने पर उतारू है। वे ऐलानिया धमकी दे रहे है कि हम हमारे हिस्से को बेच देगे और तुमको काश्त नहीं करने देगे। इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के अधिकारी है कि जब तक की विवादित भूमि का विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण 1 से 5 किसी प्रकार से अपने हिस्से को एवं विशेष भू भाग को रहन, बैह, बक्षीस नहीं करे। हम वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके की एवं रेवेन्यु रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

5. यह कि हम वादीगण को प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है क्योंकि उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संयुक्त रूप से अंकित एवं संयुक्त रूप से भूमि पर काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है इसलिए हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि जब तक की विवादित भूमि का विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जाना आवश्यक है कि प्रतिवादीगण 1 से 5 किसी प्रकार से अपने हिस्से को एवं विशेष भू भाग को रहन, बैह, बक्षीस नहीं करें। हम वादीगण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा मौके की एवं रेवेन्यु रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे कि प्रतिवादीगण को कोई क्षति या असुविधा नहीं होगी बल्कि प्रतिवादीगण अन्य को रहन बैह बक्षीस कर देगे तो वादीगण को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयो पैसो में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी हम वादीगण के पक्ष में हैं।

6. यह कि दिनांक 18.02.2022 को प्र[illegible] ने ऐलानिया धमकी दी कि हम वादीगण को सही से का[illegible] नहीं करने [illegible] और जमीन का हस्तान्तरण करके

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pumadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

रहेगे और यह भी धमकी दी कि तुम वादीगण हमारे साथ नहीं आओ से तो भी जमीन को बेच कर रहेगे हम वादीगण के मना करने पर हस्तान्तरण करने को उतारू है इसलिए वाद कारण दिनांक 18.02.2022 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

7. अन्त में निवेदन किया कि हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व निम्न आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जावे कि वादपत्र में वर्णित परिशिष्ट अ, ब, स, द के आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम पर संयुक्त स्वामित्व एवं खातेदारी की है उसका जब तक विधिवत बंटवाडा नहीं हो जावे तब तक प्रतिवादीगण किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे व प्रतिवादीगण हम वादीगण के मेरे हिस्से व कब्जे भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे, बेदखल नहीं करे, कब्जा नहीं करे, मौका व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। उक्त कार्य न स्वयं करे न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें एवं प्रतिवादी संख्या 7 को पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण उक्त आराजीयात से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद इसका पंजीयन नहीं करे और ताफैसला प्रतिवादीगण 6 व 8 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे किसी प्रकार का परिवर्तन राजस्व रेकार्ड में नहीं करें। अन्य दादरसी वादीगण कानूनन जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अनुसार प्राप्त करने का अधिकारी हो वह प्रदान कराई जावें।

8. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम पालीवाल उपस्थित।

9. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा वाद सहखातेदारों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है। अतः सहखातेदारों के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद नहीं चल सकता [illegible]ातेदारों के विरूद्व पेश किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रारम्भिक स्तर पर ही सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् खारिज योग्य होने से खारिज किया जावें।

10.हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 20, 18 पर दर्ज आराजीयात एवं मौजा खाम की मादडी पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता सं. 67, 27 पर दर्ज आराजीयात के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई हैं। प्रतिवादीगण उक्त वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं। **कानून की स्थिति स्पष्ट है कि एक सह–अभिधारी (संयुक्त) जोत के प्रत्येक इंच के कब्जे में माना जाता है और उसके विरूद्व कोई व्यादेश जारी नहीं किया जा सकता हैं। यह विचार आर.आर.डी. 88 द्वारा समर्थित है, जिसमें अस्थायी व्यादेश की स्वीकृति और उक्त प्रश्न पर विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि–सह–अभिधारियों के मामले में, एक व्यथित सह–अभिधारी को विभाजन (बंटवारे) का एक सर्वश्रेष्ठ उपचार उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त बीरबल बनाम रामसुख 1976 आर.आर.डी. 222 में भी स्पष्ट किया गया है कि एक सह–अभिधारी अपने भाई (सह–अभिधारी) के विरूद्व धारा 188 के अधीन स्थायी व्यादेश के लिए वाद नहीं ला सकता, क्योंकि सिद्धान्त में प्रत्येक पक्षकार वाद–भूमि के प्रत्येक इंच के कब्जे में रहता है। अतः एक सह अभिधारी को अन्य सह अभिधारियों को कब्जे से हटाने का कोई अधिकार नहीं हैं।** उक्त प्रकरण में भी वादीगण स्वयं ही स्वीकार कर रहे है कि प्रतिवादी सं. 1 से 5 वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार हैं। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर वादीगण का वाद स्थाई निषेधाज्ञा का सहखातेदारों के विरूद्व चलने योग्य नहीं होने से बार्ड बाई लॉ पाया जाता हैं। प्रतिवादीगण द्वारा यह कथन करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण जरिये काउन्टर क्लेम बंटवाडे का वाद लाना चाहते हैं। इसलिए प्रार्थना पत्र में वर्णित पक्षकारों को वाद में पक्षकार बनाया जावें। चूंकि वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं होने से उक्त वाद में प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. को स्वीकार किये जाने का कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Pinnadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

औचित्य नहीं हैं। प्रतिवादीगण को यदि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में बंटवाडे का वाद प्रस्तुत करना है तो वह पृथक से वाद दायर करने के लिए स्वतन्त्र हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला उदयपुर

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री गंगाराम पिता जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्री कुकाराम पिता जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. श्री देवीलाल उर्फ मांगीलाल पिता शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. पारसी पुत्री शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
5. रूपी पुत्री शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. श्रीमती केशीबाई पत्नी शिवलाल डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।

.....वादीगण

बनाम्

1. श्री छगनलाल पिता जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
2. श्रीमती कनीबाई पत्नी जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
3. केशीबाई पुत्री जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
4. गुलाबी पुत्री जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
5. लोगरीबाई पुत्री जगा डांगी निवासी रख्यावल तह. मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का रख्यावल तह. मावली।
7. उप पंजीयक महोदय, उप पंजीयन कार्यालय मावली तह. मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 30/22 (वाद)

GCMS No. : 2022/65

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा.दी. का मेन्टेबल नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 27.11.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.12.18 16:50:11 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली